


अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर ने अपने आदेश क्रमांक 1921 दिनांक 10.12.2020 से श्री भरतलाल मीना, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 (लिनक नं. 4477) कार्यालय पंचायत समिति, मण्डरायल जिला करौली के विरुद्ध प्रथम दृष्टया फर्जी भुगतान, राजकोष को हानि पहुंचाने एवं गबन किया जाना पाये जाने के कारण राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच कार्यवाही से अवगत करा, राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री भरत लाल मीना, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय पंचायत समिति, मण्डरायल जिला करौली को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है।


अतः उक्त आदेश की एतद् द्वारा पुष्टि की जाती है तथा निलम्बन काल में श्री मीणा का मुख्यालय कोषालय, करौली में रहेगा।

श्री भरतलाल मीना, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 को निलम्बन काल में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 53 के अन्तर्गत नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।


(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि श्री भरतलाल मीना, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 के विरुद्ध की जा रही विभागीय जांच के संबंध में इस निदेशालय को अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु वांछित प्रस्ताव भिजवाने का श्रम करावें।
- 2 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 3 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, मण्डरायल जिला करौली।
- 4 कोषाधिकारी, करौली।
- 5 श्री भरतलाल मीना, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय पंचायत समिति, मण्डरायल जिला करौली।
- 6 उप निदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में प्रविष्टी करने हेतु।
- 7 निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- 8 जाँच शाखा/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/पदस्थापन सीट।
- 9 श्री महेन्द्र गोयल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1।
- 10 रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।


(भवानी सिंह मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)